प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए संशोधित कैलेंडर-2022-23

(01 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक)

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, 2022-23 के शेष भाग हेतु ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए राशि को निम्नानुसार संशोधित किया है:

ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (01 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	**जारी करने की तारीख**	**91 दिन**	**182 दिन**	**364 दिन**	**कुल**
01 मार्च, 2023	02 मार्च, 2023	9,000	16,000	14,000	39,000
08 मार्च, 2023	09 मार्च, 2023	9,000	16,000	14,000	39,000
15 मार्च, 2023	16 मार्च, 2023	9,000	16,000	14,000	39,000
23 मार्च, 2023	24 मार्च, 2023	9,000	16,000	14,000	39,000
29 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023	9,000	16,000	14,000	39,000
कुल		45,000	80,000	70,000	1,95,000

2. भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बाजार को उचित सूचना देने के बाद भारत सरकार की आवश्यकताओं, विकसित बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने की छूट होगी। इस प्रकार, अन्तरावर्ती छुट्टियों जैसे कारण सहित यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो तो उक्त कैलेण्डर परिवर्तन के अध्यधीन है। यदि ऐसा बदलाव होता है तो उसे प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिलों की नीलामी समय-समय पर यथा संशोधित 27 मार्च, 2018 की सामान्य अधिसूचना संख्या एफ.एन.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अध्यधीन होगी।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 24 फरवरी, 2023